बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री प्राणनाथ मुन्ना (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–122/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, हरलाखी, मधुबनी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–2141 दिनांक–28.08.2025 के आलोक में निरीक्षण अभियान के उपरान्त "Zero Office Day Inspection : Block-wise Discrepancy Report (29.08.2025 to 10.09.2025)" की समीक्षा के क्रम में मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अन्तर्गत आने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए कुल–47 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने, 23 लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किये जाने एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के 06 स्टॉक में अन्तर संबंधित शिकायत/मामले संज्ञान में आने तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही के साथ उदासीनता बरतने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2363 दिनांक–12.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री मुन्ना को निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2372 दिनांक–12.09.2025 द्वारा श्री मुन्ना से स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान की माँग की गई।

उक्त के क्रम में श्री मुन्ना द्वारा अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया गया कि वस्तुतः चालू माह सितम्बर, 2025 का वितरण 01 सितम्बर, 2025 से शुरू हुआ है, जो आगे सामान्यतः 30 सितम्बर तक चलेगा, इस अवधि में उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय खाद्यान्न का उठाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूँकि दिनांक–29.08.25 से 10.09.2025 तक का निरीक्षण अभियान वितरण के प्रारंभिक सप्ताह में किया गया, जिसकी वजह से बहुत से उपभोक्ताओं द्वारा अपने राशन का उठाव नहीं किया जा सका। वर्तमान में इन 47 लाभुकों के द्वारा राशन का उठाव कर लिया गया है। निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित किये जाने के संबंध में अंकित किया है कि लगातार क्षेत्र भ्रमण तथा भौतिक निरीक्षण करते हुए निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित करने संबंधित लाभार्थियों के शिकायतों से अनुज्ञापन पदाधिकारी को अवगत कराया जाता था। पत्रांक–113 दिनांक–17.10.2023, जो अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को प्रेषित है, की प्रति संलग्न की गयी है। निरीक्षण के दौरान परख ऐप में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक की गणना कर उसे ऐप में दर्ज करना अनिवार्य होता है। निरीक्षण के दौरान कुल 6 मामलों में परख ऐप में दर्ज स्टॉक की गणना तथा विक्रेता के भण्डार में भौतिक रूप से उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा में अंतर परिलक्षित हुआ है। इन 6 मामलों में से 3 पूर्व के हैं। इन मामलों की जानकारी पूर्व में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को प्रदान की जा चुकी है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन 6 मामलों में संबंधित बिक्रेताओं से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है।

श्री मुन्ना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित बचाव बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री मुन्ना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को प्रेषित उक्त पत्र में श्री गोपाल कुमार मंडल, FPS

Code – 120700300484 के विरूद्ध PHH कार्ड प्रति युनिट 4 किलोग्राम एवं AAY कार्ड प्रति परिवार 30 किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–14(i) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि ''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इंकार नहीं करेगा'', जबकि उक्त आदेश की कंडिका–20 में अन्य पदाधिकारियों के साथ आपूर्ति निरीक्षक / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में 23 लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने संबंधी शिकायत खेदजनक है एवं इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि वैसे लाभार्थी जिनके द्वारा बयान दर्ज नहीं कराया गया है, उन्हें निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होता है। लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जाना निरीक्षीकीय चूक है। प्रखंड–हरलाखी, जिला–मधुबनी अन्तर्गत किये गये निरीक्षण में जन वितरण प्रणाली विक्रेता हबीबुर रहमान (FPS Code – 120700300480, दिनांक–21.09.2025) के स्टॉक में गेहूँ–32.78 क्वीं0 तथा चावल–50 क्वीं0 का अन्तर पाया गया। उक्त के अतिरिक्त जानकी रमण शुक्ल (FPS Code – 120700300027) के स्टॉक में 23 क्वीं0 गेहूँ का अन्तर पाया गया। उमेश कुमार पासवान (FPS Code–120700300068) के स्टॉक में 20 क्वीं0 गेहूँ तथा 70 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। राजेश्वर यादव (FPS Code–120700300150) के स्टॉक में 13 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। राजेन्द्र पासवान (FPS Code–120700300483) के स्टॉक में 11.87 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। विजय कुमार (FPS Code-120700300494) के स्टॉक में 51 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। संजीला प्रदीप सिंह (FPS Code–120700300563) के स्टॉक में 3 क्वीं0 गेहूँ तथा 10 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। हबीबुर रहमान (FPS Code–120700300480, दिनांक–10.10.2025) के दुकान की जाँच में 20 क्वीं0 गेहूँ तथा 40 क्वीं0 चावल का अन्तर पाया गया। स्टॉक में इतने बड़े अन्तर पैमाने पर अन्तर पाया जाना अत्यन्त खेदजनक है तथा निरीक्षी पदाधिकारी के सम्यक् निरीक्षण के अभाव को दर्शाता है। फलतः श्री मुन्ना द्वारा समर्पित बचाव बयान पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री मुन्ना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी तीन (03) वेतनवृद्धि तीन वर्षो तक असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्राणनाथ मुन्ना (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–122 / 2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, हरलाखी, मधुबनी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी तीन (03) वेतनवृद्धि तीन वर्षो तक असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित कर इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को समाप्त किया जाता है। श्री सिंह को निलंबन अवधि का अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D/2025/Punishment Order/Pran Nath Munna.doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–V)– 3370 खाद्य, पटना / दिनांक– 02.12.2025

प्रतिलिपि–**1**. प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा / जिला पदाधिकारी, मधुबनी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी / उप निदेशक (खाद्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा / प्रशाखा पदाधिकारी–03 / आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी को निदेशित किया जाता है कि संसूचित दण्ड की प्रविष्टि श्री सिंह की सेवापुस्त में किया जाना सुनिश्चित करें।

3. श्री प्राणनाथ मुन्ना (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–122 / 2024), आपूर्ति निरीक्षक (निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा), E-Mail ID : munna.prannath@gmail.com, Mobile No. 8969979871 को निदेशित किया जाता है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/2025/Punishment Order/Pran Nath Munna.doc